

# प्रधान जिला न्यायाधीश, बक्सर

इजराय वाद संख्या 16/2024

सीआईएस संख्या 16/2024

**M/S John Deere Financial India Private Ltd. Vrs Pawan Kumar Singh  
& Others**

**दिनांक 21.04.2026 :-**

डिक्रीदार अनुपस्थित है। उनके तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है।

वाद पुकार किया गया। वाद बार-बार पुकार किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार उपस्थित हुआ और न ही उसकी तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डिक्रीदार दिनांक 10.03.2026 से लगातार अनुपस्थित है तथा विगत कई तिथियों से लगातार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित हो रहे हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में डिक्रीदार को सुनवाई हेतु दिनांक 02.04.2026 को अंतिम अवसर एवं चेतावनी तथा दिनांक 10.04.2026 को अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद आज डिक्रीदार पक्ष की तरफ से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

**प्रस्तुत वाद सन् 2024 का वाद है तथा इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इजराय वाद के निष्पादन हेतु Periyammal (Dead Thr.Lrs) Vs Rajamani and Anr Etc. In Civil Appeal No. 3640-42/2025 में यह प्रतिपादित किया गया के निष्पादन वाद की कार्रवाई 6 माह में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।**

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत इजराय वाद को लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुकूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह0 / -

प्रधान जिला न्यायाधीश  
बक्सर

दिनांक 21.04.2026